

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/11688/2013/अलेसे-III/3022

दिनांक:- 14.3.24

कार्यालय आदेश

श्री राकेश सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिनक नं 11688) पदस्थापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द ने निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 1573 दिनांक 16.12.2022 की पालना में अपने कार्य के साथ-साथ कोषाधिकारी कोष कार्यालय, राजसमन्द में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य संपादित किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द एवं कोषाधिकारी, राजसमन्द के क्रमशः पत्र दिनांक 07.02.2024 एवं 02.02.2024 के द्वारा श्री सुथार ने अतिरिक्त कार्य सम्पादन की सूचना के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम-35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (उपस्थिति दिनांक 12.12.2022 से अधिकतम 6 माह तक) नियमानुसार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)/11688/2013/अलेसे-III/3022

दिनांक:- 14.3.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
2. कोषाधिकारी, राजसमन्द।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री राकेश सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/रक्षित/निजी पत्रावली।


(कै. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)